# परिशिष्ठ
## (देखिय नियम–6)
## राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

## भाग– 1
## (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. | **परियोजना विवरण**<br>अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का विवरण – | जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाद्योली–विषालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना तरस्वार कोठिया डौनी होते हुए विषालकोट की ओर 3 किमी. मोटर मार्ग।(3.00किमी.)(0.900है0) |
| | B. | 1.50.000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप/डिजिटल मैप | संलग्न है। |
| | C. | परियोजना की लागत– | 28.72 लाख। |
| | D. | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य– | स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा हेतु। |
| | E. | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)– | लागू नहीं। |
| | F. | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना हैं– | निर्माण कार्य से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। |
| 2 | | कुल आपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण– | आरक्षित वनभूमि: – ; राज्य वन भूमि: 0.450 है.; वन पंचायत भूमि: 0.450 है0; कुल भूमि: 0.900 है0 |
| 3 | | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई हैं– | आवश्यकता नहीं। |
| | A. | परिवारों की संख्या– | आवश्यकता नहीं। |
| | B. | अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या– | आवश्यकता नहीं। |
| | C. | पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)– | आवश्यकता नहीं। |
| 4 | | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक हैं। (हाँ/नहीं) | नहीं। |
| 5 | | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) | सभी प्रमाण–पत्र प्रस्ताव पर संलग्न है।<br>वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। |
| 6 | | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। | संलग्न है। |

दिनांक– 18/12/2015

स्थान– रानीखेत

(कुन्दन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

Ban Bhumi Tana Taswar motor road-39

## भाग–2
## (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम. सं. .....

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | **परियोजना के/स्कीम का स्थान** | जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में गनियाद्योली–विषालकोट मोटर मार्ग का ग्राम टाना तरस्वार कोठिया डौनी होते हुए विषालकोट की ओर 3 किमी. मोटर मार्ग।(3.00किमी.)(0.900है0) | | | |
| | **A.** | राज्य/संघ शासित क्षेत्र– | उत्तराखण्ड। | | | |
| | **B.** | जिला– | अल्मोड़ा। | | | |
| | **C.** | वन प्रभाग– | अल्मोड़ा वन प्रभाग। | | | |
| | **D.** | वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)– | आरक्षित वनभमि – | राज्य वन भूमि 0.450 है. | वन पंचायत भूमि 0.450 है0 | कुल 0.900 हैं0 |
| | **E.** | वन की कानूनी स्थिति– | | | | |
| | **F.** | हरियाली का धनत्व– | | | | |
| | **G.** | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जायं) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.–8 मीटर पर परिगणना भी संलग्न किये जायं– | | | | |
| | **H.** | भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी– | | | | |
| | **I.** | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी– | | | | |
| | **J.** | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाध रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जायं)– | | | | |
| | **K.** | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलर्भ/संकटापन/विशिष्ट प्रजातिया पायी जाती हैं। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें– | | | | |
| | **L.** | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि आपेक्षित हो या– | | | | |
| **8** | | प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं– | | | | |
| **9** | | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया हैं (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही, सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं– | | | | |
| **10** | **A.** | **प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा**<br>प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार– | | | | |
| | **B.** | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप– | | | | |

## भाग–2
## (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **C.** | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची, लागत ढांचा आदि– | |
| | **D.** | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय– | |
| | **E.** | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)– | |
| **11** | | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (**K, L**) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)– | |
| **12** | | प्रभाग/जिला प्रोफाइल– | |
| | **A.** | जिले का भौगोलिक क्षेत्र– | |
| | **B.** | जिले का वन क्षेत्र– | |
| | **C.** | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र– | |
| | **D.** | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक नवीनीकरण– | |
| | | (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि– | |
| | | (ख) वनेत्तर भूमि पर ..... तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति– | |
| | | (क) वन भूमि पर | |
| | | (ख) वनेतर भूमि पर | |
| **13** | | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश– | |

दिनांक –

स्थान –

हस्ताक्षर

## भाग–3
## (संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **14** | | स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें – | |
| **15** | | क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाावों से सहमत हैं – | |
| **16** | | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें – | |

दिनांक –

स्थान –

हस्ताक्षर

## भाग–4

## (नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

| | |
|---|---|
| 17 | टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जायं और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जायं) |

दिनांक –

स्थान –

हस्ताक्षर

## भाग–5

*(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना हैं)*

| | |
|---|---|
| **18** | राज्य सरकार सिफारिशः (उपयुक्त भाग–2 या भाग–3 या भाग–4 में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जांय)। |

दिनांक
–

स्थान –

हस्ताक्षर